हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 4 अप्रैल 2024, समय 1305 (5 मिनट))

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति, अवैध गतिविधियों की रोकथाम, जब्ती और अंतर-राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी की समीक्षा की गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ0 सुखबीर सिंह संधू के साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और सीमाओं की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

आयोग के अनुसार संयुक्त समीक्षा का उद्देश्य पड़ोसी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और सीमाओं की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय विभागों के बीच निर्बाध समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना था।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करवाना आयोग की प्रतिबद्धता है। उन्होंने इसके लिए सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आहवान किया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी भय या धमकी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

....

निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पात्र अधिकारी मतदाता सुविधा केन्द्र से डाक मतपत्र के जरिये मतदान कर सकते हैं।

आयोग ने लोगों से जागरुक रहने और भ्रामक संदेशों से सतर्क रहने को कहा है। प्रामाणिक जानकारी के लिए लोगों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने को कहा गया है।

....

करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कल भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव करवाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निर्वाचन आयोग ने करनाल विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी की थी। न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायधीश हर्ष बुंगर की खंडपीठ ने कल सुनवाई के दौरान करनाल निवासी कुनाल द्वारा दायर यह याचिका खारिज की। याची ने उच्च न्यायालय को बताया कि 13 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया और करनाल विधानसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की

धारा 151ए के अनुसार यदि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने का अधिकार नहीं होता है।

याचिका में महाराष्ट्र के अकोला विधानसभा क्षेत्र का हवाला दिया गया था जहाँ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाने के लिए जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय के नागपुर बैंच ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है।

....

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे इस्तीफे में गौरव वल्लभ ने कहा कि पार्टी जिस दिशाहीन रास्ते में आगे बढ़ रही है, उसमें वह अपने आपको सहज महसूस नहीं कर रहे हैं।

....

सरकार ने दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों को गलत और भ्रामक करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कीमत बढ़ने से 500 से ज्यादा दवाएं प्रभावित होंगी। मंत्रालय ने ऐसी खबरों को पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा है कि 782 दवाओं के लिए मौजूदा अधिकतम कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 54 दवाओं में एक पैसे की मामूली वृद्धि की गई है।

....

पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रेक अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है । जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि अगस्त 2022 के इस मामले में ईश्वर नाम का व्यक्ति जो पास के ही ढ़ाबे पर काम करता था, ने यह घिनौना अपराध किया। पुलिस ने आरोपी को 24 घण्टे में पकड़ कर अदालत में पेश किया, जिससे इस मामले का निपटारा जल्द हो सका और दोषी को सजा मिल सकी।

....

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थान जैसे कि मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव के दौरान, अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए।
इसके अलावा, शांतिपूर्ण एवं विवेकपूर्ण घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए।

....